खण्ड 9, अंक 7
शुक्रवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(20 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

पुस्तकालय
बुक नं. 428

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
्पस्थिति	...	...	...	क
ारी निकेतन गृह, देहरादून की संवासिनी प्रकरण को विपक्ष द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास			...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	2—23
नत्थी "क"	....	...	...	24—26

उत्तराखण्ड विधान सभा पुस्तकालय बुक नं० 428 देहरादून

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12 " कौल दास
13. " गगन सिंह
14. " गणेश प्रसाद गोदियाल
15. " गोपाल सिंह राणा
16. " गोविन्द लाल
17. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. " जोत सिंह गुनसोला
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नव प्रभात
24. " नारायण पाल
25. " नारायण राम आर्य
26. डा0 नारायण सिंह जंतवाल
27. काजी निजामुद्दीन
28. श्री प्रकाश पन्त
29. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. डा0 प्रताप बिष्ट
31. श्री प्रदीप टम्टा
32. " प्रीतम सिंह
33. " प्रीतम सिंह पंवार
34. " प्रेमानन्द महाजन
35. श्री फूल सिंह बिष्ट
36. " बलबीर सिंह नेगी
37. " विजयपाल सिंह सजवाण
38. " भगत सिंह कोश्यारी
39. " मदन कौशिक
40. " मंत्री प्रसाद नैथानी
41. " महेन्द्र भट्ट
42. " महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
43. " मातबर सिंह कण्डारी
44. " माल चन्द्र
45. चौ0 यशवीर सिंह
46. श्री रणजीत सिंह
47. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
48. " राम प्रसाद टम्टा
49. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
51. " शूरवीर सिंह
52. " शहजाद
53. " साधूराम
54. " सुबोध उनियाल
55. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56. " सुरेश चन्द जैन
57. " हरबंस कपूर
58. " हरभजन सिंह चीमा
59. " हरिदास
60. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61. " हीरा सिंह बिष्ट
62. " हेमेश खर्कवाल
63. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नारी निकेतन गृह, देहरादून की संवासिनी प्रकरण को विपक्ष द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

(सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे :– "सरकार इस्तीफा दे, आज दे अभी दे। एन0डी0 तिवारी इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो।)

(सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे :– सरकार इस्तीफा दे, आज दे, अभी दे। एन0डी0 तिवारी इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कृपया माननीय सदस्यों को शान्त करें।

(माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट "वेल" में खड़े होकर बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शासन द्वारा इस प्रकरण पर सी0बी0आई0 जाँच के आदेश दे दिये गये हैं।

आज नियम 311 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रकाश पन्त तथा अन्य सदस्य, श्री काशी सिंह ऐरी तथा अन्य तीन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूँकि यह प्रकरण दिनांक 18 व 19 जून, 2003 को उठ चुका है। शासन द्वारा इस प्रकरण पर सी0बी0आई0 के जाँच के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11 : 30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में खाद्य उपभोक्ताओं हेतु राशन कार्डों का मुद्रण

**1—श्री प्रकाश पंत—

एवं

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग ने उत्तरांचल के खाद्य उपभोक्ताओं के लिए नये राशन कार्ड छपाये हैं ?

यदि हाँ, तो इन राशन कार्डों की संख्या कितनी है तथा इनकी छपाई में प्रति राशन कार्ड कितना व्यय किया गया ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्स रोग की रोकथाम के उपाय

**2—श्री मदन कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्स के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए कोई तैयारी की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)—

जी हाँ।

सार्स के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उत्तरांचल के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को सी0डी0 एलर्ट 2003 "सार्स" के बारे में निगरानी के सम्बन्ध में सचिव, स्वास्थ्य भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त पत्रों की प्रति प्रेषित की जा चुकी हैं। जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा प्रत्येक जनपद में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर अपर निदेशक, स्वास्थ्य को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनके द्वारा जिलों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली रिपोर्टों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार को प्रतिदिन "सार्स" से सम्बन्धित सूचना प्रेषित की जा रही है। उत्तरांचल के निम्नलिखित

चिकित्सालयों को सम्भावित रोगियों के उपचारार्थ चिन्हित किया गया है :-

1. कोरोनेशन चिकित्सालय, आइसोलेशन वार्ड, जनपद देहरादून।
2. आई0डी0एच0 चिकित्सालय, विलकेश्वर, हरिद्वार।
3. बेस चिकित्सालय, श्रीनगर।
4. जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर।
5. जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर।
6. जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
7. बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी।
8. बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
9. आई0डी0एच0 चिकित्सालय, पिथौरागढ़।

उत्तरांचल में दिनांक 11–6–2003 तक "सार्स" रोगियों की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त–तारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रदेश के किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी

*1–काजी निज़ामुद्दीन–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में किसानों को उर्वरकों पर वित्तीय वर्ष 2003–04 में सब्सिडी देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक और किस उर्वरक पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

कृषि विभाग के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व एवं हरी खाद प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में कृषकों को जिंक सल्फेट के उपयोग पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक ढुलान पर परिवहन अनुदान को दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में जिंक सल्फेट उर्वकर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट मिश्रणों की बिक्री तथा कतिपय रसायनिक उर्वरकों के पोटाश एवं फास्फेटिक संघटकों की बिक्री पर व्यापार कर में छूट दी जा रही है।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में परिवहन निगम का गठन एवं प्रशासनिक ढाँचा

*1—श्री प्रेमानन्द महाजन

एवं

श्री नारायण पाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में परिवहन निगम का गठन कब तक हो जायेगा ?

तथा निगम का प्रशासनिक ढाँचा क्या होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

उत्तरांचल में परिवहन निगम का गठन किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद् द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है। तदोपरान्त उत्तरांचल के परिवहन निगम के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उत्तरांचल राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के साथ कार्यवाही गतिमान है। उत्तर प्रदेश से इन परिसम्पत्तियों का नियंत्रण प्राप्त होने पर ही उत्तरांचल परिवहन निगम अपना कार्य प्रारम्भ करेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ आधिकारिक स्तर पर बनी सहमति के अनुसार जुलाई माह में इन परिसम्पत्तियों का नियंत्रण प्राप्त होने पर निगम के गठन की अधिसूचना विधिवत् रूप से करते हुए उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

निगम का प्रशासनिक ढाँचा द्विस्तरीय रखा जाएगा। इस द्विस्तरीय ढाँचे में डिपो एवं निगम मुख्यालय होंगे। डिपो द्वारा बसों का संचालन करते हुए परिवहन निगम के मुख्यालय द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा डिपो ही लाभ हानि के केन्द्र बिन्दु रहेंगे।

परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा सम्पूर्ण निगम के लिए नीति निर्धारित करते हुये डिपो हेतु लक्ष्य निर्धारण तथा डिपो द्वारा प्राप्त लक्ष्यों के अनुश्रवण की कार्यवाही की जाएगी।

*2—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

[तृतीय सोमवार के तारा0 5 में स्था0]

प्रदेश की आबकारी नीति

*3—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की आबकारी नीति बना ली गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या आबकारी नीति की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे।

यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

जी हाँ।

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 24–26 पर]

वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से लाभान्वित लोग एवं उनकी ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण

*4–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

एवं

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना में दिये जाने वाले ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

पर्यटन विभाग की वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कुल 306 उद्यमियों के आवेदन–पत्र विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चयनित किये गये थे, जिनमें से 124 उद्यमियों के प्रार्थना–पत्रों पर बैंकों द्वारा ऋण की सहमति दी जा चुकी है। 62 उद्यमियों को ऋण वितरित भी किया जा चुका है।

बैंकों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

[पंचम सोमवार के तारा0 3 में स्था0]

राज्य में निगमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष किये जाने विषयक

*6–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की भाँति निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

पर्यटन विभाग के नियंत्रणाधीन गढ़वाल व कुमायूँ मण्डल विकास निगमों में कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक दोनों निगमों के निदेशक मण्डलों से अनुमोदित कोई भी प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय की स्थापना

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि पूर्व सरकार ने श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निदेशालय श्रीनगर से शीघ्र स्थापित किये जाने के निर्देश जारी करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

जी हाँ।

श्रीनगर गढ़वाल में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन एवं स्थानीय स्तर पर प्रबन्धन/निजीकरण की योजना

*8–श्री प्रकाश पन्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या स्थानीय स्तर पर चिकित्सालयों का प्रबन्धन करने तथा चिकित्सालयों के निजीकरण की सरकार की कोई योजना है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

स्थानीय स्तर पर इस प्रबन्धन समिति का दायित्व उसके चिकित्सालय के प्रबन्धन का होगा। वर्तमान में चिकित्सालयों के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है।

*9–श्री हरबंस कपूर–

[तृतीय शुक्र के तारा 06 में स्था0]

भूमि में कृषि खनिज तत्वों की कमी को दूर किये जाने की योजना

*10–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि भूमि में कृषि खनिज तत्वों की प्रतिवर्ष कमी आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मृदा परीक्षण के आधार पर वर्तमान में भूमि में मुख्यतः नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जस्ता, ताँबा, लोहा, मैंगनीज तथा बोरान तत्वों की कमी दृष्टिगत हो रही है।

भूमि में खनिज तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के अनुरूप कृषकों को विभिन्न माध्यमों से भूमि में खनिज तत्वों की कमी के कारणों को बताया जाता है तथा फसल चक्र में वांछित परिवर्तन लाने, संन्तुलित उर्वरकों एवं जैविक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खनिज तत्वों की कमी को दूर करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

यथा–मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना में जैविक ग्राम योजना के अन्तर्गत जैविक खाद व जैव रसायनों के निर्माण पर आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। दलहन एवं तिलहन विकास योजना में जिंक सल्फेट एवं जैविक फर्टिलाइजर पर अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व एवं हरी खाद प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कृषकों को जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व, हरी खाद तथा जिप्सम के प्रयोग पर वर्ष 2003–04 हेतु अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण योजना में एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन के अन्तर्गत कृषकों को सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी व प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक, विपणन अधिकारी व राइस मिल मालिक के खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच

*11–श्री मदन कौशिक–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बीज निगम में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रबन्ध निदेशक, सहायक विपणन अधिकारी व एक राइस मिल मालिक के खिलाफ ऊधमसिंह नगर जनपद में मुकदमा दर्ज किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

कालातीत गेहूँ के बीज के विक्रय के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, सहायक विपणन अधिकारी व एक राइस मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 1240/2002 के अन्तर्गत धारा 418, 203 482, 487, 420 आई0पी0सी0 व धारा 14 बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के प्रत्यावेदन पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अनुरोध पर दायर की गयी प्राथमिकी पर अग्रेत्तर कार्यवाही आलम्बित रखते हुए अपर निदेशक कृषि, उत्तरांचल के द्वारा इस प्रकरण की प्रशासनिक जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया, अपर निदेशक, कृषि से जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध विधि के अनुरूप व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल के बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय में चिकित्सकों हेतु आवास निर्माण

1—डा0 नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नैनीताल के बी0डी पाण्डे चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवास निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

आवास निर्माण वित्तीय संसाधन तथा भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं, उठता।

विकास खण्ड जोशीमठ एवं चमोली में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार

2—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ एवं चमोली में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ?

यदि हाँ, तो किस—किस स्थान पर तथा ये कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

3—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

[द्वितीय मंगलवार के अता0 18 में स्था0]

कृषि मण्डी समिति ज्वालापुर, हरिद्वार ग्रामगोद योजना के अन्तर्गत लिये गये गाँव भगतनपुर—आबिदपुर उर्फ इक्कड़ के विकास कार्यों की जानकारी

4—श्री तसलीम अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि मण्डी समिति ज्वालापुर जि0 हरिद्वार ने ग्राम भगतनपुर—आबिदपुर उर्फ इक्कड़ को ग्रामगोद योजना के अन्तर्गत गोद

लिया था? इस गाँव को पहले भी विकास के लिए चयन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या इसमें विकास कार्यों की चयनित करने की कार्यवाही की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मण्डी समिति हरिद्वार यूनियन ज्वालापुर जिला हरिद्वार द्वारा ग्राम सभा भगतनपुर–आबिदपुर के ग्राम इक्कड़कला को उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की ग्रामगोद योजना के अन्तर्गत चयन कर गोद लिया गया है। मण्डी समिति से ग्राम प्रधान स्तर पर पंचायत की बैठक में दिये गये प्रस्तावानुसार चयनित गाँव के विकास की कार्य योजना बनायी जा रही है, ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य रूप से पुलिया निर्माण, नाला/नाली निर्माण, सड़क निर्माण, खड़ंजा निर्माण, हैण्ड पम्प, स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य भवन, पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

उत्तरकाशी में मैक्रोमैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत काश्तकारों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण हेतु अनुदान

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मैक्रोमैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत किन–किन काश्तकारों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जनपद उत्तरकाशी में मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मौरी में ग्राम सभा बैनोल के ग्राम बदाऔं, केवला, बैनोल एवं सालरा में निम्न 15 कृषकों को वाटर हर्वेस्टिंग टैंक निर्माण हेतु 25 प्रतिशत अनुदान (रु0 4000/– प्रति कृषक) उपलब्ध कराया गया :–

श्री चौहान सिंह, श्री रतन सिंह, श्री प्रमोद सिंह, श्री हुकुमसिंह, श्री सिलदार सिंह, श्री ईश्वर सिंह, श्री झबर सिंह, श्री सावन सिंह, श्री रामदयाल सिंह, श्री बाबूराम, श्री उजेन्द्र सिंह, श्री गबर सिंह, श्री देव सिंह, श्री जोत सिंह, श्री भाग्यान सिंह।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

6–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कब तक कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)–

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार के वित्त पोषण से की जाती है। उत्तरांचल राज्य में अभी तक जनपद टिहरी एवं जनपद चम्पावत में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हुए हैं। जनपद नैनीताल में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा में राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से कृषि विज्ञान केन्द्र का अतिरिक्त दायित्व है।

उत्तरांचल सरकार ने निम्न आठ जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु अनुरोध किया है : हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिनमें से जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने का अनुरोध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से किया गया है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। जहाँ तक निश्चित अवधि इंगित करने का प्रश्न है यह प्रदेश स्तर से नहीं बताया जा सकता क्योंकि अन्तिम निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

जनपद चमोली के पर्यटन विभाग में सृजित पदों पर तैनाती

7–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन को बढावा दिये जाने के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग में, जनपद चमोली में सृजित स्वागत अधिकारी, प्रधान लिपिक, विरिष्ठ लिपिक, टंकक, चालक तथा चपरासी के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, गोपेश्वर, जनपद चमोली में स्वागत अधिकारी, टंकक लिपिक एवं चपरासी के पदों पर कार्मिक तैनात हैं। चालक का पद वाहन उपलब्ध होने के उपरान्त भरा जाना प्रस्तावित है। शेष पदों को पदोन्नति के माध्यम से यथाशीघ्र भरे जाने की कार्यवाही उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की योजना

8–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिये सरकार के पास कोई योजना प्रस्तावित है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

विकास खण्ड थौलधार में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कटखेत में स्टॉफ की तैनाती

9–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कटखेत कब स्वीकृत किया गया था ?

क्या उक्त अस्पताल में चिकित्सक/फार्मासिस्ट आदि स्टॉफ की तैनाती कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कटखेत उ0प्र0 शासनकाल में शासनादेश संख्या 1431/28–2–99–दस(23)/98, दिनांक 15–07–1999 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पन्तनगर विश्वविद्यालय की विभिन्न जनपदों में संचालित शाखायें तथा चमोली में कृषि विश्वविद्यालय की शाखा खोलने विषयक

10–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पन्तनगर विश्वविद्यालय की शाखायें कितने जनपदों में संचालित हैं और उसका स्वरूप क्या है ?

क्या जनपद चमोली में कृषि विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी–

पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा जनपद टिहरी, रानीचौरी में पर्वतीय परिसर स्थापित किया गया है तथा जनपद पौड़ी के भरसार नामक स्थान पर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उत्तरांचल के 13 जनपदों में से 11 जनपदों में प्रसार एवं शोध इकाइयाँ कार्यरत हैं। 2 जनपदों टिहरी एवं चम्पावत में कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्त पोषित सहायता से

चलाये जा रहे हैं। जनपद नैनीताल में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेरा में राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से कृषि विज्ञान केन्द्र का अतिरिक्त दायित्व है। जनपद ऊधमसिंह नगर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित होने के कारण इसका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने आठ जनपदों यथा हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। जहाँ तक निश्चित अवधि इंगित करने का प्रश्न है यह प्रदेश स्तर से नहीं बताया जा सकता क्योंकि अन्तिम निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती विषयक

11—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अनेक ऐसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो गत वर्षों एवं इससे अधिक अवधि से एक ही स्थान पर तैनात हैं ?

क्या ऐसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्रों में क्रमशः सेवा करने का अवसर दिये जाने की सम्भावना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

सुगम, दुर्गम स्थानों में सेवा करने का अवसर विभागीय स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत पूर्व से विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के बेलेश्वर (चमियाला) चिकित्सालय को राज्य स्तर का दर्जा एवं आधुनिक उपचार की उपलब्धता

12—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के बेलेश्वर (चमियाला) चिकित्सालय को राज्य स्तर का दर्जा प्रदान कर उसमें सभी आधुनिक उपचार से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्तरीय चिकित्सालय का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

देहरादून में बिड़ला यामाहा कम्पनी द्वारा सस्पैंड किये गये कर्मकारों का उत्पीड़न

13–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में बिड़ला यामाहा कम्पनी द्वारा अकारण ही कुछ कर्मकारों को कम्पनी से पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से सस्पैंड किया गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

कम्पनी द्वारा दिनांक 5–11–2001 को अनुशासनहीनता के आरोप में चार कर्मकारों को निलम्बित किया गया।

उक्त प्रकरण पर घरेलू जाँच की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है। निलम्बित कर्मकारों को नियमानुसार निलम्बन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा जाँच कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विभाग द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बातने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा में भवन क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण कार्य करवा लिया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के ओडगाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

15–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के ओडगाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ओडगाँव विकास खण्ड–नौगाँव जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत स्थित है। मानकों के अनुसार विकास खण्ड नौगाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का औचित्य नहीं है।

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा संस्थानों व पॉलिटेक्निकों में वार्षिक कलेण्डर लागू करने विषयक

16–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा संस्थानों व पॉलिटेक्निकों में वार्षिक कलेण्डर लागू है ?

यदि नहीं, तो आगामी सत्र से वार्षिक कलेण्डर लागू कर कलेण्डर के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक थलनदी पौड़ी गढ़वाल में अनुदेशक स्टेनोग्राफी के रिक्त पद पर तैनाती

17—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक थलनदी पौड़ी गढ़वाल में माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस पाठ्यक्रम में अनुदेशक स्टेनोग्राफी का पद कई वर्षों से रिक्त चला आ रहा है?

यदि हाँ, तो छात्रों के हित में कब तक अनुदेशक स्टेनोग्राफी की नियुक्ति की ज़ा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के गढ़ में होम्योपैथिक चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सक पद पर तैनाती

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के गढ़ में होम्योपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो चिकित्सक की कब तक तैनाती कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के गढ़ नामक स्थान पर कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

19—श्री नारायण पाल—

[द्वितीय मंगलवार के अता0 19 में स्था0]

जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत दाइयों की संख्या एवं मानदेय बढ़ाने पर विचार

20—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितनी अंशकालिक दाइयाँ हैं ?

क्या सरकार इनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद–टिहरी गढ़वाल में 57 अंशःकालिक दाइयाँ कार्यरत हैं।

भारत सरकार के पुनरीक्षित मानकों के अनुरूप शासनादेश संख्या 641/चि0–3–2002–74–2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2001 से इनका मानदेय रु0 50.00 से बढ़ाकर रु0 100.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय थातीकठूड़ (बूढ़ाकेदार) में रिक्त चिकित्साधिकारी के पद पर तैनाती

21–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बूढ़ाकेदार में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है ?

क्या सरकार इस रिक्त पद पर शीघ्र तैनाती करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी नहीं। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, थातीकठूड़ (बूढ़ाकेदार) में चिकित्साधिकारी की तैनाती है। लेकिन वह चिकित्साधिकारी दिनांक 16–03–2003 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उक्त चिकित्साधिकारी की अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

22–श्री बलबीर सिंह नेगी–

[द्वितीय बुधवार के अता0 15 में स्था0]

टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चिकित्सकों के पदों पर तैनाती

23–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद–टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर शीघ्र तैनाती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जनपद टिहरी–गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल 16 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों की उपलब्धता पर तैनाती निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत उ0प्र0 संवर्ग के तदर्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त किए जाने की जानकारी

24–श्री हरबंस कपूर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग के तदर्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कार्यमुक्त किया गया है ?

यदि हाँ, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व तदर्थ आधार पर पर्वतीय उप संवर्ग में कार्य कर रहे कार्मिक पर्वतीय उप संवर्ग के ही माने जाने के कारण।

भूमि संरक्षण अधिकारी लण्ढौरा (रुड़की) द्वारा खरीदी गई जी0आई0 तार की उपयोगिता

25–मौ0 शहजाद–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी लण्ढौरा, रुड़की (हरिद्वार) द्वारा गत वर्ष 2002–2003 में जिला योजना मद से लगभग रु0 12.00 लाख की धनराशि का जी0 आई0 तार क्रय किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त तार का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

भूमि संरक्षण इकाई, रुड़की (हरिद्वार) में वर्ष 2002–03 में जिला योजना मद से मार्च के अंतिम पक्ष में रु0 10.88 लाख का जी0आई0 तार क्रय किया गया।

जी0आई0 तार का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2003–04 में जनपद के अन्तर्गत भूमि कटाव की रोकथाम हेतु स्वीकृत परियोजनाओं में किया जायेगा।

कलियर शरीफ मेले को सरकारी मेला घोषित किए जाने की योजना

26–श्री हरिदास–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार कलियर शरीफ के मेले को सरकारी मेला घोषित करने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न मेले एवं त्यौहारों के सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुये इनके आयोजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु किसी भी मेले को सरकारी मेला घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–04 में पिरान कलियर मेले के आयोजन हेतु रु0 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद रुद्रप्रयाग में पर्यटक आवास गृह जसोली रानीगढ़ के बन्द होने के कारण एवं ग0म0वि0 निगम को सौंपे जाने पर विचार

27–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में पर्यटक आवास गृह जसोली रानीगढ़ कब से बन्द है ? उक्त पर्यटक आवास गृह के बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त पर्यटक आवास गृह को ग0म0वि0नि0 को सौंपे जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद रुद्रप्रयाग के जसोली रानीगढ़ स्थित पर्यटक आवास गृह का भवन निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है। किन्तु जल एवं विद्युत संयोजन न होने के कारण अभी यह आवास गृह संचालन के योग्य नहीं हो सका है। जल व विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने के उपरान्त इस पर्यटक आवास गृह को यथाशीघ्र संचालित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के लोगों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की जानकारी

28—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् जनपद टिहरी गढ़वाल के कितने लोगों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सरकारी सेवा में सेवायोजित किया जा चुका है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् से जनपद टिहरी गढ़वाल के 212 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सरकारी सेवा में सेवायोजित कराया गया।

जनपद टिहरी के घनसाली कस्बे में बस स्टेशन का निर्माण

29—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली कस्बे में बस स्टेशन निर्माण किये जाने हेतु शिलान्यास किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो उक्त बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस मार्ग में परिवहन निगम की कोई बस सेवा संचालित न होने के कारण।

30—श्री हरबंस कपूर—

[द्वितीय मंगलवार के अता0 17 में स्था0]

देहरादून के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के आधुनिकीकरण की योजना

31—श्री हरबंस कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी रोड देहरादून स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे को आधुनिक सुविधाओं से और अधिक सुसज्जित करने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नई टिहरी में महिला पॉलिटेक्निक खोलने का प्रस्ताव

32–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नई टिहरी में महिला पॉलिटेक्निक स्वीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम तीर्थ स्थल पिरान कलियर को वर्ष 2002–03 में विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

33–मौ0 शहजाद–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुस्लिम तीर्थ स्थल पिरान कलियर को वर्ष 2002–03 में विकास के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2002–03 में पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार के विकास के लिये शासन को कोई प्रस्ताव न होने के कारण इस हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

विकास खण्ड द्वाराहाट के असगोली में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में उपकेन्द्र का शीघ्र निर्माण

34–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत असगोली में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के मुख्य भवन परिवार कल्याण उपकेन्द्र का निर्माण प्रकल्प शाखा उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत द्वारा करवाया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इन भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निर्माण कार्य निविदा पद्धति से करवाया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी हाँ।

इन भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2003–04 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

यह कार्य उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा विभागीय पद्धति से कराया जा रहा है।

नानकमत्ता धार्मिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

35–श्री नारायण पाल–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्त में नानकमत्ता एक धार्मिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

नानकमत्ता धार्मिक स्थल के पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुये पूर्व में वहाँ पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नानकमत्ता गुरुद्वारे के पहुँच मार्ग का विद्युतीकरण एवं गुरुद्वारे से पर्यटक आवास गृह तक मुख्य मार्ग का विस्तारीकरण भी पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े हो गए और नारे लगाने लगे :– आज दो अभी दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दे, आज दे अभी दे)।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट "वेल" में खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज कई विभागों का बजट लगा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अतः कृपया माननीय सदस्यगण आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर नारे लगाते रहे :— आज दो, अभी दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दे)।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 23 जून, 2003 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, दिनांक 23 जून, 2003 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

देहरादूनः
दिनांक 20 जून, 2003।

(देखिये ता0प्र0स0–03 का उत्तर पीछे पृष्ठ–5)

संलग्नक

उत्तरांचल शासन

आबकारी विभाग

संख्या 312/18/आब0/2003–04

देहरादून, 22 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं–

यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रवृत्त होगी।

1. लाईसेन्स फीस का निर्धारण–

वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष की भाँति देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर स्लैबवार 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जाय। इस प्रकार निर्धारित लाईसेन्स फीस में से माह अप्रैल हेतु प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 के शेष 11 माह अर्थात् 1–5–2003 से 31–3–2004 तक के लिए लाईसेन्स फीस मानी जायेगी।

2. अधिभार का निर्धारण–

निजी अनुज्ञापियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव समितियों द्वारा चलाई गयी दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2002–03 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत जोड़कर अधिभार निर्धारित किया जाय।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के लिए वर्ष 2002–03 हेतु निर्धारित अधिभार एवं वास्तविक निकासी की गयी मदिरा पर देय अधिभार का औसत निकाल कर उसमें 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़ दी जाय। इस अधिभार में माह अप्रैल में प्राप्त अधिभार को घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 की शेष अवधि 1–5–2003 से 31–3–2004 तक के लिए अधिभार का निर्धारण किया जाय।

3. राजस्व निर्धारण–

उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 1–5–2003 से 31–3–2004 तक का दुकान का राजस्व माना जायेगा।

4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन–

उक्त प्रकार बिन्दु 3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन–पत्रों में जहाँ एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आवंटित की जायेगी।

5. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना–

निकासी हेतु अधिभार की गणना के स्लैब कम रखें जायं एवं देशी व विदेशी मदिरा दोनों पर अधिभार कम रखा जाना चाहिए जिससे शराब के मूल्य नियंत्रित रहेंगे तथा तस्करी की सम्भावनायें भी कम होंगी।

6. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)–

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों को पूर्ववत् दिये जायेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर उसको भी विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा तथा विगत वर्ष की भाँति भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाइटीज को भी थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा एवं एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभाँश को संतुलित किया जाय।

7. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स–

बार/क्लब बार लाईसेन्स देने के सम्बन्ध में तीन, चार व पाँच सितारा होटलों को बार लाईसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा जाय। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/सात–लाईसेन्स/बार–नीति/2001–02 दिनांक 6–4–2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा। गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–2003 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी। बार लाईसेन्स स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

8. नयी आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाइनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में–

बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाइनरी की स्थापना हेतु लाईसेन्स देने पर भी विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल पुस्तकालय ★ बुक न देहरादून

9. देशी मदिरा के वर्तमान आवंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भाँति रखा जायेगा।

10. भाँग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 को नीति को यथावत् रखा जायेगा।

11. बार व क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीसों में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

12. राज्य संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 50.00 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 52.00 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाय।

13. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली पुरानी बोतलों का प्रयोग 30 अगस्त, 2003 के बाद समाप्त कर दिया जाय और दिनांक 01 सितम्बर, 2003 से शत–प्रतिशत नई बोतलों का प्रयोग किया जायेगा।

14. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2002–03 की ही भाँति रखी जायेंगी।

15. उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावलियाँ बनाई जायेंगी।

आज्ञा से,
बी0सी0 चन्दोला,
सचिव।

उत्तरांचल राज्य पुस्तकालय
बुक नं,
देहरादून

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधान सभा/258–01–10–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।